



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5760

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 77 वर्ष 2026

प्रशांत साहू

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	विक्रान्त पांडे, विवेक चतुर्वेदी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

प्रारंभ में ही, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रान्त पांडे ने वर्तमान याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें उत्प्रेषण की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश मामले के अभिलेख मंगवाने और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.09.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी करने की चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा समीक्षा अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और उन्हें बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि उनके अनुसार वर्तमान याचिका विधिवत रूप से गठित नहीं की गई है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)